भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 243
19 नवंबर,2019 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खाद्य उत्पादन

243. श्री ए. राजाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में जैविक खाद्य उत्पादन का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में जैविक खाद्य उत्पादन आज भी बहुत कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कई कृषि उपज प्राकृतिक रूप से जैविक हैं, लेकिन ये प्रमाणित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): भागीदारी गारंटी प्रणाली-इंडिया तथा राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सहित पूरे देश में प्रमाणित जैव खाद्य उत्पादों का राज्य-वार प्रतिशत अनुबंध-I एवं II में दिया गया है।

(ख): जैविक खाद उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। भारत सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र मिशन आर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलप्मेंट तथा परम्परागत कृषि विकास योजना नामक दो समर्पित स्कीमों के तहत वर्ष 2015 से राज्य सरकारों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इन स्कीमों के तहत किसान कलस्टर/किसान उत्पादन संगठनों के गठन, आदान खरीद के लिए किसानों को प्रोत्साहन सहायता, मूल्यवर्धन के साथ-साथ फसल कटाई पश्चात अवसंरचना सृजन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग प्रचार-प्रसार, ढुलाई, जैविक मेलों आदि के लिए सहायता

प्रदान की गई है। जैविक खेती को अन्य स्कीमों अर्थात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा एकीकृत बागवानी विकास मिशन, आईसीएआर के तहत जैविक खेती संबंधी नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की जाती है।

थर्ड पार्टी प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात में कृषि एवं प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ताकि घरेलू जैविक बाजार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारत सरकार ने ई-कामर्स प्लेटफार्म- जैविक खेती पोर्टल (https://www.jaivikkheti.in) आरंभ किया है ताकि जैविक उत्पादों का विपणन किया जा सके और कम से कम ढुलाई लागत में उपभोक्ताओं को ये उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराये जा सकें। पीजीएस-इंडिया और थर्ड पार्टी प्रमाणित जैविक उत्पादों का विपणन इस पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

(ग) एवं (घ): जी हां। विभिन्न कृषि उत्पाद प्राकृतिक रूप से जैविक होते हैं परन्तु वे प्रमाणित नहीं होते हैं। तथापि भारत सरकार ने पीकेवीवाई कार्यक्रम के माध्यम से किसान कलस्टर दृष्टिकोण के तहत पीजीएस ग्रीन/पीजीएस जैविक के रूप में किसानों के उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए कार्रवाई आरंभ की है। यह प्रमाणीकरण लागत प्रभावी तथा किसानों के लिए वहनीय है। किसी किसान के कलस्टर के तहत पंजीकृत सभी उत्पादों को इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणित किया जा सकता है।

अनुबंध-I

पीजीएस-इंडिया प्रमाणित जैविक खाद्य पदार्थ का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	है0 क्षेत्र में	*क्विंटल में उत्पादन	जैविक खाद्य उत्पादन का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	231.387	7079.57	0.145
2	असम	0.66	18	0
3	छत्तीसगढ़	2787.244	448365.8	9.202
4	दमन और दीव	0.67	33	0.001
5	दिल्ली	27.804	1013.7	0.021
6	गुजरात	38.2	538.875	0.011
7	हरियाणा	54.4	4596.8	0.094
8	हिमाचल प्रदेश	770.328	49636.15	1.019
9	झारखंड	518.627	8161.245	0.168
10	कर्नाटक	2876.253	49858.06	1.023
11	केरल	304.521	34915.8	0.717
12	मध्य प्रदेश	17066.46	574415.4	11.789
13	महाराष्ट्र	16487.42	2293534	47.073
14	मणिपुर	9.75	1458	0.03
15	मेघालय	461.899	5895.3	0.121
16	मिजोरम	196.8	27349.5	0.561
17	ओडिशा	4.928	127.7	0.003
18	राजस्थान	119.6	4988.38	0.102
19	तमिलनाडु	513.43	40394.97	0.829
20	तेलंगाना	205.42	102508.5	2.104
21	त्रिपुरा	984.82	29814.7	0.612
22	उत्तर प्रदेश	10373.35	1065826	21.875
23	उत्तराखंड	34176.16	113498.2	2.329
24	पश्चिम बंगल	14.753	8307	0.17
25	संपूर्ण	176449.8	9744669	100
* खाद्यानों, दलहन, फलों और सब्जियों का उत्पादन सहित पैदावार क्विंटल में।				

अनुबंध- II

एनपीओपी के तहत वर्ष 2018-19 के लिए राज्यवार वितरण (कृषि उत्पादन)					
क्र.सं.	राज्य का नाम	जैविक उत्पादन (एमटी में)	जैविक उत्पादन का राज्यवार %	परिवर्तित उत्पादन (एमटी में)	परिवर्तित उत्पादन में राज्यवार%
	महाराष्ट्र	858734.613	33.04	2241.400	27.02
	मध्य प्रदेश	738877.747	28.43	7.956	0.10
	कर्नाटक	365848.348	14.08	4728.636	57.00
	उत्तर प्रदेश	142511.559	5.48	0.015	0.00
	राजस्थान	134611.234	5.18	1.500	0.02
	ओडिशा	88948.057	3.42	0.550	0.01
	जम्मू और कश्मीर	33878.950	1.30	0.000	0.00
	गुजरात	66106.204	2.54	0.000	0.00
	असम	38456.720	1.48	18.880	0.23
	उत्तराखंड	29601.807	1.14	0.000	0.00
	केरल	25434.583	0.98	0.000	0.00
	पश्चिम बंगाल	19791.656	0.76	80.726	0.97
	तमिलनाडु	14803.020	0.57	936.558	11.29
	छत्तीसगढ़	14364.670	0.55	0.000	0.00
	आंध्र प्रदेश	11400.328	0.44	103.000	1.24
	हिमाचल प्रदेश	6958.207	0.27	0.000	0.00
	गोवा	2454.552	0.09	0.000	0.00
	तेलंगाना	2108.691	0.08	29.596	0.36
	हरियाणा	1215.130	0.05	147.350	1.78
	पंजाब	744.270	0.03	0.000	0.00
	मेघालय	699.340	0.03	0.000	0.00
	अरुणाचल प्रदेश	590.548	0.02	0.000	0.00
	सिक्किम	423.811	0.02	0.000	0.00
	त्रिपुरा	326.023	0.01	0.000	0.00
	नगालैंड	189.529	0.01	0.000	0.00
	बिहार	5.655	0.00	0.000	0.00
	पांडिचेरी	2.500	0.00	0.000	0.00
	झारखंड	0.990	0.00	0.000	0
कुल		2599088.742	100.00	8296.167	100.00